न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी डॉ. नीरज के. पवन, आई.ए.एस

अपील संख्याः 17/2017 एल.आर.एक्ट
GCMS No. 2017/00145

गुरदीप कौर उर्फ करतार कौर पत्नि गुरबक्श सिंह जाति रायसिख साकिन चक 4 एस.जे.एम.(बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।

—— अपीलान्ट

बनाम

1. जसकरण कौर पुत्री जरनैल सिंह तथाकथित दत्तक पुत्री गुरबक्श सिंह जाति रायसिख साकिन चक 4 एस.जे.एम.(बी) तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर।
2. सरपंच ग्राम पंचायत 7 एस.जे.एम. तहसील अनूपगढ़ बांडा कॉलोनी पंचायत समिति अनूपगढ़।

—— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट
श्री देवेन्द्र खत्री — अभिभाषक रेस्पोडेंट

निर्णय

दिनांक 16.05.2022

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 13.12.2016 के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि–

1– वादग्रस्त भूमि वाके चक 4 एस.जे.एम.(बी) का मुरब्बा नंबर 3 पत्थर संख्या 257/377 की 25 बीघा भूमि गुरबक्श सिंह के नाम खातेदारी भूमि दर्ज थी। गुरबक्श सिंह का देहान्त होने के बाद उक्त विवादित भूमि का इन्तकाल संख्या 165 दिनांक 20.08.2015 गुरदीप कौर उर्फ करतार कौर पत्नि गुरबक्श सिंह के नाम विरासतन दर्ज हो गया। उक्त इंतकाल संख्या 165 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़ ने आदेश पारित करते हुए दिनांक 13.12.2016 को उक्त इन्तकाल संख्या 165 को निरस्त कर तहसीलदार राजस्व अनूपगढ़ को

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। उक्त आदेश दिनांक 13.12.2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत की।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट श्री विजय कुमार पारीक ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 13.12.2016 पूर्णतया एकतरफा व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। वादग्रस्त भूमि गुरबक्श सिंह के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। उक्त भूमि की एकमात्र वारिस बेवा अपीलांट गुरदीप कौर उर्फ करतार कौर है। गुरबक्श सिंह के देहान्त हो जाने पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण—पत्र व वारिस प्रमाण पत्र के आधार पर पूरी जांच करके ग्राम पंचायत 7 एस.जे.एम. पंचायत समिति अनूपगढ़ ने दिनांक 20.08.2015 को विरासतन इंतकाल अपीलांट के हक में दर्ज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने इंतकाल संख्या 165 के विरूद्ध प्रथम अपील मियाद बाहर पेश की। रेस्पोडेंट संख्या 1 को अपील पेश करने का अधिकार नहीं था। रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा गुरबक्श सिंह की दत्तक पुत्री होने का फर्जी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसको तत्कालीन सरंपच ने कूटरचित एवं फर्जी करार दिया। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 13.12.2016 को निरस्त फरमाया जावे तथा इंतकाल संख्या 165 दिनांक 20.08.2015 को बहाल रखा जावे।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट श्री देवेन्द्र खत्री ने बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुरबक्श सिंह की दत्तक पुत्री है। अपीलांट ने तथ्य छुपाकर अकेले अपने नाम से विरासतन इंतकाल दर्ज करवा लिया है, जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 भी गुरबक्श की दत्तक पुत्री होने के कारण वारिस हैं। ग्राम पंचायत द्वारा दर्ज इंतकाल संख्या 165 दिनांक 20.08.2015 बिना जांच किये इकतरफा तौर पर दर्ज किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

4— हमने अधिनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अपील के संलग्न मियाद अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के आधार पर अपील को मियाद में शुमार किया जाता है। वादग्रस्त भूमि वाके चक 4 एस.जे.एम.(बी) का मुरब्बा नंबर 3 पत्थर संख्या 257/377 की 25 बीघा भूमि गुरबक्श सिंह के नाम दर्ज खातेदारी भूमि है। उक्त वादग्रस्त भूमि का विरासतन इंतकाल ग्राम

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पंचायत 7 एस.जे.एम. पंचायत समिति अनूपगढ़ ने अपीलांट गुरदीप कौर उर्फ करतार कौर पत्नि गुरबक्श सिंह के नाम दर्ज किया। रेस्पोडेंट संख्या 1 जसकरण कौर द्वारा गुरबक्श सिंह की दत्तक पुत्री होने के संबंध में कोई पुख्ता साक्ष्य/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला कलक्टर अनूपगढ़ के निर्णय दिनांक 13.12.2016 को निरस्त किया जाता है।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.05.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. नीरज के. पवन)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर